श्री जय राम ठाकुर
माननीय मुख्यमंत्री हि.प्र.

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करें व नेक व्यक्ति (GOOD SAMARITAN) बनें

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 (क) के अनुसार नेक व्यक्ति का अर्थ उस व्यक्ति से है जो नेक नीयत, स्वेच्छा से और किसी ईनाम या मुआवज़े की उम्मीद किए बिना पीड़ित को दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाता है।

नेक व्यक्ति (GOOD SAMARITAN) के अधिकार

1. सड़क दुर्घटना के समय पुलिस या कानूनी दावपेंच के झमेले के डर से अपनी इंसानियत न छोड़ें। घायल व्यक्ति की मदद के लिए बिना संकोच आगे आएं क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (1) के अनुसार नेक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की आपातकालीन स्थिति में ईलाज या अन्य प्रकार की सहायता करते समय कोई कार्यवाही करने में या कार्यवाही करने में असफल रहने पर यदि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को क्षति पहुँचती है या उसकी मृत्यु होती है तो नेक व्यक्ति किसी सिविल या अपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 क (2) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा केन्द्रिय मोटर वाहन नियम 1989 के 9वें अध्याय में नियम 168 में नेक व्यक्ति के अधिकार व नियम 169 में नेक व्यक्ति की परीक्षा को परिभाषित किया गया है।

   मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 (क) के अनुसार मददगार नेक व्यक्ति को धर्म, जाति से ऊपर उठकर सम्मान सहित अधिकार देता है कि पुलिस को सूचित करने या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की स्थिति में उसे पुलिस या अस्पताल द्वारा रूकने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
2. पुलिस या अस्पताल द्वारा उसे नाम, परिचय, पता आदि बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही अस्पताल की किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे रोका जाएगा।
3. घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने से संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने या घायल के उपचार के लिए किसी तरह के खर्च वहन करने को भी बाध्य नहीं किया जाएगा।
4. स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी बनने की स्थिति में उससे पूछताछ उसकी सुविधा के अनुसार समय और स्थान जैसे उसके आवास या कार्यस्थल पर करने की व्यवस्था की जाएगी या इसके लिए वह सुविधा अनुसार थाने का चयन भी कर सकता है। यदि वह चाहे तो पुलिस उससे सादी वर्दी में आकर भी पूछताछ कर सकती है और जहां तक सम्भव हो पूछताछ की प्रक्रिया एक बार में ही पूरी कर ली जाएगी।
5. जरूरत होने पर जांच अधिकारी द्वारा जांच के लिए दुभाषिए की भी व्यवस्था की जाएगी। साक्ष्य शपथ पत्र पर भी देने की अनुमति दी जाएगी।
6. नेक व्यक्ति के किसी तरह के उत्पीड़न या असुविधा के दृष्टिगत् साक्ष्य आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग भी किया जाएगा।
7. दुर्घटना की जांच के अवसर पर नेक व्यक्ति के अनुपस्थित होने में कोई असुविधा, अधिक व्यय और विलंब जैसी बाधाएं पेश आती हैं अथवा नेक व्यक्ति की परीक्षा उसकी सुविधा अनुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव न हो तो न्यायालय या मैजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 284 के अंतर्गत किए गए आवेदन पत्र पर परीक्षा आयोजन करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

अतः सड़क दुर्घटना के समय डरें या झिझकें नहीं। घायल व्यक्ति की हर सम्भव मदद करें।

अधिक जानकारी के लिए Log in करें:- https: //himachal.nic.in/transport

सड़क दुर्घटना से बचें एवं दूसरों को भी बचाएं।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश